संख्या-51/2019/929/सैंतीस-2-2019-1(2)/2013टीसी

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनॉक-16 अप्रैल, 2019

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढीकरण (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-03/सा0-एक/एक्स-120(7)/पा.क्ली.क्रिया./2019-20, दिनांक-03.04.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढीकरण (रा.यो.) के अन्तर्गत राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार क्रमशः रू0-53.00 लाख एवं रू0-5.00 लाख इस प्रकार कुल रू0-58.00 लाख (रूपये अठ्ठावन लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक/मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
2403-पशुपालन- **101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-** **07-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण**	
01-वेतन	25.00
03-मंहगाई भत्ता	2.00
06-अन्य भत्ते	3.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.50
29-अनुरक्षण	2.50
39-औषधि तथा रसायन	10.00
42-अन्य व्यय	2.50
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	2.50
55-मकान किराया भत्ता	2.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	1.00
योग-	**53.00**
4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय- **101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-** **11-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण**	
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	**5.00**
महायोग-	**58.00**

(रूपये अठ्ठावन लाख मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइडलाइन्स) के अनुरूप करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. वर्तमान में प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। अतः निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता के दिशा-निर्देशों का किसी भी दशा में कोई उल्लंघन न हो।
3. स्वीकृत धनराशि को आहरण हेतु संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय।
4. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों/सामग्रियों आदि का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। जेम पोर्टल पर दरें उपलब्ध न होने की दशा में ही इनका क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।
5. जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करते समय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. मानक मद 29-अनुरक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर से आगणन अनुमोदित कराने के उपरान्त ही किया जाय।
7. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
8. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-07-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढीकरण' की सुसंगत इकाईयों तथा लेखाशीर्षक-'4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-11-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढीकरण-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-51/2019/929(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in